

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2013/कार्तिक 27, 1935

No. 297]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2013/KARTIKA 27, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 18 नवम्बर, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2013-14/31/6883.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
2. वे भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में, -
 - (i) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, -
 - (क) परंतुक में, पूर्ण विराम के लिए, चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जायेगा ;
 - (ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"परंतु यह और कि बोर्ड, पारस्परिक निधियों की आस्ति प्रबंध कंपनियों द्वारा नियुक्त वितरकों के मामले में, इस विनियम के अधीन आवेदन करने वाले केवल एक समूह या संगम को मान्यता का प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा ।"
 - (ii) विनियम 4 में, खंड (झ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् -
"(झ) आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है;"

(ii) विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

4क. (1) जहाँ आवेदक, विनियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख को, विनियम 4 के खंड (ग), (घ) या (ज) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, तो वहाँ बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जो एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसके भीतर आवेदक विनियम 4 के सभी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा :

परंतु यह कि बोर्ड, आवेदक द्वारा दर्शाये गए पर्याप्त हेतुक के आधार पर, सैद्धांतिक अनुमोदन की विधिमान्यता को नब्बे दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा ।"

(iv) विनियम 6 में, शब्दों "प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन" से पूर्व, शब्द और चिह्न "विनियम 4क के उपबंधों के अध्यक्षीन," अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69 जैड बी/13]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/3348/2004 द्वारा, 19 फरवरी, 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 तत्पश्चात् 7 जनवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/27/5469, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SELF REGULATORY ORGANIZATIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2013-14/31/6883.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) (Second Amendment) Regulations, 2013.
2. They shall come into force on the date of their notification in the Gazette of India.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004,—
(i) in regulation 3, in sub-regulation (1),—

(a) in the proviso, for the full stop the symbol ":" shall be substituted;

(b) after the proviso, the following new proviso shall be inserted, namely—

"Provided further that the Board may, in case of distributors engaged by asset management companies of mutual funds, grant certificate of recognition to only one group or association making an application under this regulation."

(ii) in regulation 4, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely—

"(i) the applicant is a fit and proper person based on the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;"

(iii) after regulation 4, the following new regulation shall be inserted, namely-

"Grant of in-principle approval.

4A. Where the applicant is not in compliance with the provisions of clauses (c), (d) or (h) of regulation 4, on the date of submission of the application under regulation 3, the Board may grant an in-principle approval to the applicant, which shall be valid for a period of one hundred and eighty days, within which the applicant shall ensure compliance with all provisions of regulation 4:

Provided that the Board may, upon sufficient cause shown by the applicant, extend the validity of the in-principle approval for a further period not exceeding ninety days."

(iv) in regulation 6, for the words "Any application", the words and symbol "Subject to the provisions of regulation 4A, any application" shall be substituted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/13]

Footnote :

1. The SEBI (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004, were published in the Gazette of India on 19th February, 2004 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/3348/2004.
2. The SEBI (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004 were subsequently amended on 7th January, 2013 by the SEBI (Self Regulatory Organizations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/27/5469.